तहसीलदार ने मृत व्यक्ति को अतिक्रमक बताते हुए लगाया एक हजार का जुर्माना और कर दिया भूमि से बेदखली का आदेश

पटवारी ने नहीं दी रिपोर्ट, न ही पक्षों को बुलाया, आदेश से अनजान रहे पक्षकार, की गई अपील

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले के अशोकनगर राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां करीब एक माह पूर्व दुनिया छोड़ चुके व्यक्ति को अशोकनगर तहसीलदार ने अतिक्रमक बताते हुए उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया, तो वहीं उसे भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। यहा सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिन व्यक्तियों को भूमि से बेदखली का आदेश दिया उन्हें आदेश पारित करने से पहले या आदेश पारित की दिनांक को बुलाया ही नहीं गया और न ही उन्हें किसी प्रकार के नोटिस दिये दियो, सिर्फ आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार भारतेन्दु यादव द्वारा 11 दिसंबर 2025 को गौशाला निवासी राजकुमार नामदेव और उसके भाई महेंद्र नामदेव को अतिक्रमक बताते हुए उन पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं उन्हें भूमि से बेदखल कर करने का आदेश पारित किया गया, जबकि आदेश के 23 दिन पहले 18

नवम्बर 2025 राजकुमार नामदेव की मृत्यु को हुई थी।

दरअसल तुलसी कॉलोनी वार्ड 21 निवासी राजकुमार नामदेव व उनके भाई महेंद्र नामदेव पुत्र रामगोपाल के विरूद्ध उन्हीं की बहिन सुनीता देवी व अन्य बहिनों द्वारा मप्र भूराजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नंबर 243/2/6 रकवा0.032, 243/2/3 रकवा0.033 हेक्टेयर, 243/2/7 करवा 0.032 हेक्टेयर भूमि पर अनावेदक द्वारा किये गये अवैध कब्जा के कारण प्रश्नाधी भूमि पर से अनावेदक का अवैध कब्जा हटवाये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आदेश पारित होने से पहले पटवारी ने नहीं लगाई रिपोर्ट :

तहसीलदार के आदेश पारित होने से पटवारी द्वारा रिपोर्ट नहीं लगाई। आदेश पारित दिनांक से पहले यदि रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की जाती तो असलियत सामने आ जाती। पटवारी संतोष रघुवंशी ने आदेश पारित दिनांक से पहले दोनों पक्षों को सूचना सहित अभिभाषक को भी सूचना देना चाहिए था, लेकिन आदेश पारित होने के पहले यदि दोनों पक्ष व अभिभाषक उपस्थित रहते तो राजकुमार नामदेव की मृत्यु हो जाने की जानकारी लग जाती। लेकिन इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आदेश पारित करने से पूर्व या फिर आदेश पारित करने की दिनांक तक पक्षकारों को इसकी जानकारी दी ही नहीं गई।

ऑडी अल्टर्म पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो का नियम:

आदेश पारित करने से पहले तहसीदार न्यायालय में दूसरे पक्ष के समक्ष यदि आदेश का वाचन किया जाता तो अवश्य राजकुमार नामदेव की मृत्यु की जानकारी मालूम पड़ती, लेकिन ऐसा न किया जाकर सीधा आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें पटवारी की रिपोर्ट भी सबमिट नहीं की गई। इस मामले में ऑडी अल्टर्म पार्टेम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसे कानूनी भाषा में ऑडी अल्टर्म पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो का नियम कहा जाता है, जिसमें राजस्व मामलों (जैसे भूमि विवाद, सीमांकन या नामांतरण) में तहसीलदार या किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना अनिवार्य है। इससे एक बात साफ हो जाती है प्रकरण में असलियत सामने होती है। मृतक के भाई महेंद्र नामदेव पुत्र रामगोपाल नामदेव ने बताया कि आदेश पारित करने से पहले या आदेश पारित की दिनांक को न तो हमें बुलाया गया और न ही हमें कोई नोटिस दिया गया। मेरे बड़े भाई राजकुमार नामदेव की मृत्यु आदेश पारित 23 दिन पूर्व हो चुकी थी। तब उनकी आयु 74 साल 10 महीने 17 दिन थी।

इनका कहना है।

आपके द्वारा मामला मेरे सज्ञान में लाया गया है, मैं फाइल चैक करवाता हूं।

भारतेंदु यादव,
तहसीलदार अशोकनगर।

दिव्यांग के घर पहुंचे नपाध्यक्ष, घर में बैठकर सुनीं समस्याएं

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया अपनी कार्यशैली और जनता के बीच सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने संवेदनशीलता की एक मिशाल पेश की, जब वे प्रोटोकॉल छोड़कर स्वयं एक दिव्यांग नागरिक के घर उनकी समस्याएं सुनने पहुंचे। इस श्री मानोरिया ने उनके निवास पर पहुंचकर न केवल इत्मीनान से उनकी व्यथा सुनी, बल्कि मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन की हर जन-हितैषी योजना का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे, यह उनकी प्राथमिकता है। नगर पालिका प्रशासन जनता की सेवा के लिए है। यदि कोई दिव्यांग या बुजुर्ग व्यक्ति कार्यालय तक नहीं आ सकता, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके द्वार तक पहुंचें। वहीं नपाध्यक्ष ने कहा कि नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है। वहीं अध्यक्ष की इस सादगी और संवेदनशीलता की मोहल्ले वासियों ने जमकर प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाता है। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका के अन्य कर्मचारी और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे।

एक नजर में

70 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जप्त, आरोपी गिरफ्तार

अशोकनगर। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सेहराई पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 70 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। दरअसल बुधवार को थाना सेहराई सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सेहराई-गुडाटांका रोड स्थित सिद्धपुरा पुलिया के पास अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब रखे हुए बैठा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी सेहराई द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी पुष्पेन्द्र पुत्र विशन सिंह यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गुडाटांका थाना सेहराई को पकड़कर उसके कब्जे से कुल 70 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब, अनुमानित कीमत लगभग 10,500 रुपये की जप्त की। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सेहराई उप निरीक्षक धर्मेश दांगी, सहायक उप निरीक्षक प्रिजेश यादव, गोपाल सिंह कुशवाह एवं प्रधान आरक्षक ामलखन रावत की सराहनीय भूमिका रही।

ससुराल में दामाद की पिटाई

अशोकनगर। जिले के चंदेरी में एक शादी समारोह में ससुराल वालों ने दामाद को लोहे के सरियों से पीट दिया, जिसमें वह घायल हो गया, यह मारपीट ससुर, साला, सास सहित अन्य लोगों द्वारा की गई। जिसके चलते उनके सिर में 20 टांके आए हैं। सीने के ऊपर सरिया घोंपने से वहां से भी खून बह निकला। यह घटनाक्रम मंगलवार देर रात चंदेरी के पनखुआ मंदिर के पास हुआ। मारपीट की घटना में विजय पुत्र नारायण दास लालमणि, उम्र 43 साल, निवासी पसियापुरा चंदेरी घायल हो गया। घायल ने बताया कि उसके ससुराल वाले भी चंदेरी के पसियापुरा के ही रहने वाले हैं। वहीं विजय ने बताया कि वह अपनी ससुराल पक्ष के परिवार में शादी में गया था। वहीं उसका साला बालचंद शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया।

तीन कर्मचारियों के निलंबन के बाद 9 दिन से बेपटरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं

एक ही कर्मचारी पर पर्चा बनाने से लेकर दवा वितरण का जिम्मा

नवभारत न्यूज

बहादुरपुर। बीती 3 मई को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जब एक आदिवासी किषोरी के षव को पोस्टमार्टम कराने के बाद घर तक शव पहुंचाने शासन स्तर से वाहन उपलब्ध नहीं हुआ था तो किशोरी के परिजन उसका शव हाथों में उठा कर ले गए थे। इस मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तो कर दी लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया। 4 मई को कलेक्टर साकेत मालवीय ने संगणक आरएस पैंकरा, सीएमएचओ डॉ. अल्का त्रिवेदी ने वार्डबॉय धर्मेन्द्र वाल्मीकि को निलंबित कर दिया था तो वहीं केयर टेकर बब्लू वाल्मीकि को हटाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया था। इसके बाद से ही तीनों कर्मचारी अस्पताल में सेवाएं नहीं दे रहे हैं, इनके स्थान पर स्वास्थ्य विभाग को अन्य कर्मचारियों की तैनाती करनी थी जो नहीं की गई। बताया गया है कि पिपरई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से वार्डबॉय नंदकुमार आदिवासी को बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया था जो 11 मई को आमद देने के बाद नजर नहीं आए। ऐसे में प्रतिदिन आधा सैकड़ा से अधिक ओपीडी वाले इस अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो गई हैं। एक ही कर्मचारी पर पर्चा बनाने से लेकर पट्टी बांधने और दवाएं देने का जिम्मा है।

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में भी रिफर कर रहे:

स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बनकर आने वाले लोगों को भी जिला अस्पताल रिफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं के दुरुस्त बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में जब सीबीएमओ डॉ. अजय जाटव से उनके मोबाईल नंबर 9713552123 पर संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वह उपलब्ध नहीं हो सके।

थानाक्षेत्र में दो मर्ग हुए, पोस्टमार्टम के लिए मुंगावली ले जाना पड़ा :

इन नौ दिनों में बीते मंगलवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कोंचाडेम में डूबने से ओमवती पत्नी रमेश मोंगिया उम्र 32 वर्ष की मौत हो गई थी तो बुधवार को भगवती बाई पत्नी भोला अहिरवार उम्र 40 वर्ष निवासी मथाना की फांसी लगने से मौत हो गई थी। इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं हो पाया। दोनों शवों को मुंगावली सिविल अस्पताल भेजना पड़ा।

कारों की आमने सामने की भिड़ंत में पूर्व जनपद अध्यक्ष घायल

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। जिले के विदिशा रोड पर ओडेर गांव के पास बुधवार को दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें मुंगावली के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह यादव की कार पलट गई, जबकि दूसरी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी। इस दुर्घटना में जगन्नाथ सिंह यादव दमदमा गांव के पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह समेत कुछ अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

जानकारी के मुताबिक, जगन्नाथ सिंह यादव अपने साथियों के साथ बंगला चौराहे की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी कार से उनकी कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार पलट गई, जबकि दूसरी खेत में जा पहुंची।

लोगों ने घायलों को बाहर निकाला :

दूसरी कार अथाईखेड़ा के जैन परिवार की बताई जा रही है, जो अथाईखेड़ा की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए दोनों वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया, जिससे यातायात सामान्य हो सका।

विधि महाविद्यालय में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित

अशोकनगर। शासकीय विधि महाविद्यालय में जिला आपदा प्रबंधन अशोकनगर द्वारा महाविद्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रो को विभिन्न आपदाओं के संबंध बताया गया व डोमो दिखाया गया। कार्यक्रम के आयोजक राघवेन्द्र शर्मा कमांडेंट होमगार्ड के निर्देशन में एवं मुख्य अतिथि सोनम जैन संयुक्त कलेक्टर अशोकनगर व मनीष शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (चन्देरी) की उपस्थिति में प्रशिक्षण शिविर के प्रारंभिक चरण में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जकवलन कर कार्यक्रम प्रारंभक किया गया। जिसमें राघवेन्द्र शर्मा कमांडेंट होमगार्ड द्वारा विभिन्न आपदाओं के संबंध में आपदा एवं निवारण के संबंध में रूप रेखा प्रस्तुत की गई व राहुल रघुवंशी द्वारा विभिन्न आपदाओं के निवारण पर डेमो द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में संयुक्त कलेक्टर सोनम जैन द्वारा आपदा प्रबंधन बचाव पर उद्बोदन दिया। मनीष शर्मा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (चन्देरी) अपने उद्बोदन में सर्पदंश की आपदा में बचाव विभिन्न प्रकार की आग व उनके रोकने तरीके बाढ के समय प्रारंभिक स्तर पर किये जाने वाली कार्यवाही एवं बोरबेल की घटना में नई तकनीकी (छाता) के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। छात्र-छात्राओ के प्रश्न उत्तर के माध्यम से संखाओ का सामाधान किया व अपने क्षेत्र में जन मानस को विभिन्न आपदा एवं निवारण के संबंध में बताया गया।

शिवपुरी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया शानदार प्रदर्शन

सीबीएसई का कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित

परिणाम घोषित होते ही दी गई बधाई

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। बुधवार को सीबीएसई के कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम घोषित किये गये, इन परीक्षा परिणाम घोषणा में शिवपुरी पब्लिक स्कूल छात्र-छात्राएं उत्कृष्ट प्रदर्शन निखर कर सामने आया है और वेहत्तर प्रतिशत के साथ स्कूल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।

दरअसल बुधवार को घोषित सीबीएसई परीक्षा परिणाम कक्षा 12 में निरुपमा राय ने 91.2 प्रतिशत सीबीएसई कॉमर्स के साथ विद्यालय में प्रथम तथा हिमांशु शर्मा ने 89.8 प्रतिशत सीबीएसई कॉमर्स लाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अजय सिंह जाट ने 89.40 प्रतिशत सीबीएसई कॉमर्स ने लाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा विकेश रघुवंशी ने 89.20प्रतिशत सीबीएसई बायोलॉजी के साथ चतुर्थ एवं संचिता उपाध्याय ने 88.40प्रतिशत सीबीएसई कॉमर्स लाकर पंचम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय संचालक, विद्यालय प्राचार्या के साथ ही शिवपुरी पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ ने सभी को बधाई दी साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी गई।

सुविधा | **रखनी होंगी कुछ बाते ध्यान में**

ई विकास पोर्टल के माध्यम से मिलेगा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। किसानों को रकबे अनुसार फसल मक्का, धान, सोयाबीन आदि चयन करने पर एक ही बार में मिलेगी उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा, किसानों के लिए टोकन जनरेशन का समय सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित है। ई-टोकन प्रणाली में एंडरॉइड मोबाईल से ई-टोकन आसानी से बुक कर सकते हैं। खरीफ फसल हेतु उर्वरक टोकन बुकिंग की सुविधा प्रारंभ है। ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं। सिकमी (ठेकेदार/बटाईदार) किसान जो भूमि स्वामी नहीं हैं वे अपनी भूमि स्वामी की अनुमति से एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से अधीकृत प्रतिनिधि किसान बनकर उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं। वन पट्टाधारी किसानों के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के सत्यापन उपरांत ई-विकास पोर्टल से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। मृत किसान तथा शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध किसानों हेतु उर्वरक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। संयुक्त खाता धारी कृषकों जिनमें से एक या अन्य सदस्य किसी अन्य शहर में या देश से बाहर रहते हैं जिस कारण उनका आधार ओ.टी.पी. प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है ऐसे किसानों अथवा संयुक्त खाता धारकों में से एक किसान को नामांकित करने के लिए ई-विकास पोर्टल में सुविधा विकसित की गई है।

पंजीकरण - किसानों को अपना आधार नम्बर एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। फार्मर आई.डी. पर रकबा एवं फसल की जानकारी अपडेट होना आवश्यक है। आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया करनी होगी। मोबाईल नम्बर को आधार से लिंक करायें। ई-टोकन जनरेट करने के लिए पोर्टल से ई-विकास प्रणाली के जरिये डेसबोर्ड खुलेगा जहां से ई-टोकन जनरेट करने के लिए आधार नम्बर डालना होगा किसान के आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर आई ओ.टी.पी. डालने पर किसान की भूमि और पट्टे की जानकारी आएगी, कृषक को भूमि के लिए रकबा और फसल तय करना होगा जिससे खाद की मात्रा वैज्ञानिक आधार पर स्वत: पोर्टल पर अपडेट होगी। यूरिया के साथ डी.ए.पी. या एस.एस.पी. या एन.पी.के. का विकल्प चुनना होगा।टोकन **जनरेशन :** पोर्टल किसान की चयनित फसल और उपलब्ध रकबे के अनुसार आवश्यक उर्वरकों के प्रकार चुनने के बाद वितरण केन्द्र, डबललॉक केन्द्र, एम.पी.एग्रो, समितियां, निजी विक्रेताओं पर उपलब्ध स्टॉक के चयन के बाद स्वचालित रूप से ई-टोकन जारी करेगा।

उर्वरक का उठाव:

जारी टोकन के साथ किसान को 02 दिनों (48 घण्टे) के भीतर चयनित वितरण केन्द्र से खाद लेनी होगी यदि किसान समय सीमा के अन्दर खाद नहीं लेता है तो टोकन स्वत: निरस्त हो जायेगा। खाद के लिए टोकन और लाईन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी।

इन बातो का रखे ध्यान:

जिन किसानों के पास फार्मर आई.डी. नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में फार्मर आई.डी. न होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के एप्रूबल से टोकन बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि कृषक को अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता है तो पोर्टल पर कारण दर्ज कर अतिरिक्त उर्वरक ले सकते हैं।

वॉश ऑन व्हील का प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज

अशोकनगर। ईसागढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत वॉश ऑन व्हील का एक दिवसीय प्रशिक्षण नवीन तहसील भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में खण्ड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ईसागढ जेपी प्रजापति ने स्वच्छता सेवा हेतु वॉश ऑन व्हील अंतर्गत प्रदान किए जाने संबंधी जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में सफाई मित्रों को पीपीई किट पहनकर सेफ्टी किट के साथ कार्य के दौरान सावधानी रखकर समुदाय को स्वच्छता के नवाचार से सफाई कार्य के दायित्व निर्वहन कर आत्म निर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण में महिला एवं बाल विकास विभाग व पीएचई सहित जल जीवन मिशन ,शिक्षा विभाग प्रमुखों द्वारा सफाई मित्रों को अपनी संस्थाओं में सफाई कार्य की शुरुआत हेतु मांग के बारे में अवगत कराया गया। विकासखण्ड समन्वयक एसबीएम सतपाल सिंह जाट ने डब्यूं ओडब्ल्यू मोबाइल एप के संचालन के बारे मे उपस्थित विभागीय अधिकारीगणों को अवगत कराया । प्रशिक्षण में जल जीवन मिशन से उपयंत्री राहुल रघुवंशी ने जल की शुद्धता और सफाई के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, पानी की टंकी सफाई शुल्क का निर्धारण इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण में उपस्थित सफाई मित्रों ने सफाई हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के महत्वा के बारे में बताया। प्रशिक्षण में वॉश ऑन व्हील मोबाइल एप डाउनलोड कर बुकिंग प्रकिया का लाईव डेमो दिया गया।